कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 – सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून – 248001

फोन न0 (0135) – 2712055, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2712014, 2713724

संख्या 72 /XXV–12 (1–5)/2008 देहरादून : दिनांक 06 जनवरी, 2017

सेवा में,

जिलाधिकारी एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी,
हरिद्वार, उत्तराखण्ड।

विषयः– **सूचना के अधिकार के अन्तर्गत अपील से संबंधित आवेदन पत्र का हस्तान्तरण।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक उत्तराखण्ड सूचना आयोग, देहरादून के आदेश संख्या 139 दिनांक 04 जनवरी, 2017 के द्वारा पारित आदेश जिसमें शिकायत संख्या 11688/18/1 का निस्तारण किये जाने का उल्लेख किया गया है की प्रति इस कार्यालय को इस आशय से प्रषित की गयी है कि संलग्न शिकायती पत्र के संबंध में प्रस्तुत सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अर्न्तगत आप अपने अधीनस्थ अपीलीय अधिकारी को अधिनियम की धारा 19 (1) के अन्तर्गत विभागीय अपील के रूप में इसे शासनादेश संख्या 146 दिनांक 22 मार्च, 2006 के अनुसंलग्नक 3 में विभागीय अपीलीय अधिकारियों से संबंधित पंजिका में पंजीकृत कर इसकी नियमानुसार सुनवाई करते हुए इसका समयबद्ध निस्तारण करें तथा ऐसे निस्तारण का प्रमाण आयोग को भी निस्तारण के एक सप्ताह के अंदर प्रेषित करने का कष्ट करें।

अतः आप उत्तराखण्ड सूचना आयोग के उक्त सन्दर्भित आदेश एवं उसके साथ संलग्न शिकायती पत्रों आदि को अपने अधीनस्थ अपीलीय अधिकारी को सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के अन्तर्गत अपील का नियमानुसार निस्तारण करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,
(मस्तू दास)
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी

पृ0संख्या 72 /XXV–12(1–5)/2008, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– 1. मा0 मुख्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड, सूचना का अधिकार भवन, लाडपुर, रिंग रोड़, देहरादून को उनके उक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

2. श्री अरविन्द कुमार पुत्र श्री यशपाल सिंह निवासी ग्राम मखदूमपुर, पोस्ट औ0 मखदूमपुर, तहसील रूड़की, जिला हरिद्वार को सूचनार्थ प्रेषित।

(मस्तू दास)
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी

सत्यमेव जयते

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

सूचना का अधिकार भवन, लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून

शिकायत संख्याः 11688 / 18(1)

शिकायत कर्ताः श्री अरविन्द कुमार पुत्र श्री यशपाल सिंह, निवासी ग्राम मखदूमपुर, पोस्ट औ0 मखदूमपुर, तहसील रूड़की, जिला हरिद्वार

बनाम

प्रतिपक्षीः विभागीय अपीलीय अधिकारी/ मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून.

आदेश

श्री अरविन्द कुमार पुत्र श्री यशपाल सिंह, निवासी ग्राम मखदूमपुर, पोस्ट औ0 मखदूमपुर, तहसील रूड़की, जिला हरिद्वार द्वारा आयोग को अपना पत्र दिनांक 21.10.2016 को प्रस्तुत किया है.

2. सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत उक्त शिकायत का परीक्षण किया गया एवं परीक्षणोपरान्त पाया गया कि शिकायतकर्ता द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) के अन्तर्गत प्रथम विभागीय अपील प्रस्तुत नही की गयी है/ ऐसी विभागीय अपील प्रस्तुत करने के पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।

3. उक्त शिकायती पत्र को मूल रूप में संलग्नकों सहित विभागीय अपीलीय अधिकारी/**मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून** को इस निर्देश के साथ प्रेषित किया जाता है कि वह अधिनियम की धारा 19(1) के अन्तर्गत विभागीय अपील के रूप में इसे शासनादेश संख्या 146 दिनांक 22 मार्च 2006 के अनुसंलग्नक 3 में विभागीय अपीलीय अधिकारियों से संबंधित पंजिका में पंजीकृत कर इसकी नियमानुसार सुनवाई करते हुये इसका समयबद्ध निस्तारण करें तथा ऐसे निस्तारण का प्रमाण आयोग को भी निस्तारण के एक सप्ताह के अंदर प्रेषित करें।

4. इस आदेश की प्रति शिकायतकर्ता को भी पृष्ठांकित की जा रही है।

संलग्नकः– आवेदन कर्ता का शिकायती पत्र मूल रूप में समस्त संलग्नकों सहित।

Asst. CEO

5/1/17 ACEO

(शत्रुघ्न सिंह)
मुख्य सूचना आयुक्त

सचिव

पत्रांक 139 /शि0सं0: 11688/उ0सू0आ0/2016 दिनांक 04.01.17

प्रतिलिपिः

1. विभागीय अपीलीय अधिकारी/मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून.
2. लोक सूचना अधिकारी/ कार्यालय, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून
3. शिकायतकर्ता श्री अरविन्द कुमार पुत्र श्री यशपाल सिंह, निवासी ग्राम मखदूमपुर, पोस्ट औ0 मखदूमपुर, तहसील रूड़की, जिला हरिद्वार को सूचनार्थ.

नोटः–कृपया आयोग से पत्राचार करते समय आयोग द्वारा निर्धारित शिकायत संख्या/अपील संख्या का उल्लेख अवश्य करें।

21 OCT 2016
10903

सेवा मे,

श्रीमान लोक सूचना आयुक्त देहरादून

6(3)	FAO	KOF
RIO	LO	Secy.
18	P.S.	Dy. Secy.

L.O.

महोदय

निवेदन यह है कि प्रार्थी आर0टी0आई0 कार्य कर्ता है। प्रार्थी द्वारा दिनांक 31-08-16ई0 को मुख्य निर्वाचन अधिकारी देहरादून से श्री हरिदास विधायक के सम्बन्ध मे सूचना मांगी गयी थी। जिसका पत्रांक संख्या-428/2514 है। विधान सभा निर्वाचन के पत्रांक संख्या-428/2514 है लेकिन मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा कोई सूचना नही दी गयी है।

अतः आपसे निवेदन है कि प्रार्थी को इस सम्बन्ध मे सूचना दिलाने की कृपा करें। आपकी अतिकृपा होगी।

दिनांक -13-10-16ई0

अरविन्द कुमार
प्रार्थी

अरविन्द कुमार पुत्र यशपाल सिंह
नि0 ग्राम व पो0 मखदूमपुर
त0 रूड़की जिला हरिद्वार

मो0 9719840565

अनुरोध पत्र

भारतीय डाक
India Post

अधिनियम, 2005

ूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

के अन्तर्गत आवेदन

....

2. पूरा पता/ई–मेल/फैक्स जिस पर जानकारी प्रेषित की जानी है.......ग्रा० पो० मरखमग्रल तह० रूड़की हरिद्वार

3. दूरभाष क्रमांक/मोबाईल नम्बर.......9719 840565.......

4. आवेदन देने का दिनांक.......31-8-2016.......

5. कार्यालय का नाम...मुख्य निर्वाचन अधिकारी देहरादून / लोक सूचना अधिकारी देहरादून.......

6. चाही गई जानकारी का विवरण : मूलत : आवेदन संलग्न है (अलग से सादे कागज पर चाही गई जानकारी का विवरण लिखकर इस आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर प्रस्तुत कर दें)

7. क्या चाहते है नकल/निरीक्षण/रिकार्ड का निरीक्षण/रिकार्ड की प्रमाणित प्रति/प्रमाणित नमूना

.......प्रमाणित प्रति.......

8. आवेदन के साथ अदा किया जाने वाला प्रोसेस फी–रूड़की 10/- नगद/–स्टाम्प (बी पी एल सूची के सदस्य को देय नही) रसीद क्र. एवं दिनांक.......................

9. क्या आवेदक गरीबी की रेखा से नीचे है अथवा नहीं–हां/नही यदि हां तो बी. पी. एल. सूची का अनुक्रमांक.......29732.......

अरविन्द कुमार

हस्ताक्षर (आवेदनकर्त्ता)

टीप – यदि आवेदक द्वारा डाक से आवेदन प्रेषित किया जाता है तो आवेदन पत्र पर रूपये 10 का स्टाम्प चस्पा करते हुए रजिस्टर्ड/यू. पी.सी./डाक व्यय सहित स्वयं का पता लिखा हुआ लिफाफा साथ में संलग्न करें। (बी.पी.एल. सूची के सदस्य को डाक व्यय देय नही)

पावती

1. आवेदन प्राप्त होने का दिनांक
2. आवेदनकर्त्ता को वांछित जानकारी प्राप्त करने के संबंध में अग्रिम कार्यवाही हेतू उपस्थित होने का दिनांक
3. संबन्धित शाखा/अधिकारी जहां से जानकारी उपलब्ध होगी।

प्राप्तकर्त्ता के हस्ताक्षर

(लोक सेवा अधिकारी/सहायक लोक

श्रीमान प्रमुख सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड, देहरादून

विषय - विधान सभा सामान्य निर्वाचन 2012 - श्री हरिदास पुत्र स्व. शोभाराम बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के सम्बन्ध में —

महोदय -

निवेदन यह कि पत्रांक 428/25-14 (वि०स० नि०) 2013-14 के पत्र संलग्न के सम्बन्ध में आज तक क्या कार्यवाही हुई है।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है सूचना देने का कष्ट करें आपकी अति कृपा होगी

दिनांक - 31-8-16

अरविन्द कुमार
प्रार्थी
अरविन्द कुमार S/o यशपाल सिंह
ग्रा० पो० सरवतपुर त० रुड़की
हरिद्वार (उत्तराखण्ड)

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 – सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून – 248001
फोन न0 (0135) – 2712055, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2713724, 2712014

संख्या– [redacted] /XXV–60/2011 देहरादून : दिनांक [redacted] 2014

सेवा में,

जिलाधिकारी एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी,
हरिद्वार।

विषयः– विधान सभा सामान्य निर्वाचन–2012, श्री हरिदास पुत्र स्व0 श्री शोभाराम, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के नामांकन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या–428/25–(वि0स0निर्वा0)/2013–14 दिनांक 11 नवम्बर, 2013 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उल्लिखित प्रकरण पर मार्गदर्शन प्रदान करने का अनुरोध किया गया था।

2– उक्त संदर्भ में इस कार्यालय के पत्र संख्या–714 दिनांक 06 दिसम्बर, 2013 के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग से आवश्यक दिशा–निर्देश/मार्गदर्शन की अपेक्षा की गई थी, जिस पर भारत निर्वाचन आयोग के विधिक सलाहकार द्वारा मौखिक रूप से अवगत कराया गया कि प्रकरण पर संबंधित [redacted] एवं आयोग द्वारा तद् विषयक समय–समय पर जारी अन्य दिशा–निर्देशों का भलीभाँति से अध्ययन सुनिश्चित करते हुए नियमानुसार कार्यवाही करें।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

छायाप्रति

D Revision of Roll Revision of PLR of 1-1-2014 officepad